

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्राथी
1. दिपाराम पुत्र भगाराम 2. भंवराराम पुत्र भगाराम 3. बुनाराम पुत्र भगाराम 4. नुताराम पुत्र भगाराम 5. रतनाराम पुत्र भगाराम 6. बाबुराम पुत्र भगाराम जाति दजी निवासी सरणु तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम
विप्रार्थीगण
1. देवाराम पुत्र काछवाराम 2. उतमाराम पुत्र नेनाराम 3. बाबुराम पुत्र नेनाराम 4. भंवराराम पुत्र नेनाराम 5. चेनाराम पुत्र लाखाराम 6. वेहनाराम पुत्र लाखाराम 7. केहराराम पुत्र पेमाराम 8. छगनी पत्नी पेमाराम 9. तेजाराम पुत्र पेमाराम 10. गम्पाराम पुत्र जवाराम 11. नरशियाराम पुत्र जवाराम 12. इन्दाराम पुत्र जवाराम 13. बाबुराम पुत्र जवाराम 14. भंवराराम पुत्र मोवताराम 15. हुकमाराम पुत्र मोवताराम 16. कंसाराम पुत्र खेताराम 17. घंवराराम पुत्र खेताराम 18. राणाराम पुत्र अणदाराम जातियान दजी 19. किरदाराम पुत्र पदमाराम 20. मालाराम पुत्र पदमाराम 21. उदाराम पुत्र वगताराम 22. पेमाराम पुत्र कलाराम 23. जमुाराम पुत्र खेराराम 24. लालाराम पुत्र खेराराम जातियान जाट 25. रामाराम पुत्र बालाराम जाति मेपवाल राणी निवासीगण सरणु तहसील व जिला बाड़मेर

प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-29/2022 दिनांक-05.04.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणु भीमजी पटवार हल्का सरणु तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 542/296 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 541/296, 543/296, 546/314, 547/346 कुल रकबा 23.07 बीघा तथा मौजा पोटलियासर पटवार हलका सरणु भूजा.नि. ववा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 512/151 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 509/151 रकबा 22 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम रथापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/-- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्राथी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



दिनांक / शीडर / 2022 / 175-179
प्रतिनिधि:- निम्नांकित को सूदनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

दिनांक
17/4/22

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर को भेजकर लेख है कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक पुलिस ईगदाद मागे जान पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।
3. पटवारी सरणु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्राथी दिपाराम पुत्र भगाराम 2. भंवराराम पुत्र भगाराम 3. बुनाराम पुत्र भगाराम 4. नुताराम पुत्र भगाराम 5. रतनाराम पुत्र भगाराम 6. बाबुराम पुत्र भगाराम जाति दजी निवासी सरणु तहसील व जिला बाड़मेर
5. विप्रार्थी 1. देवाराम पुत्र काछवाराम 2. उतमाराम पुत्र नेनाराम 3. बाबुराम पुत्र नेनाराम 4. भंवराराम पुत्र नेनाराम 5. चेनाराम पुत्र लाखाराम 6. वेहनाराम पुत्र लाखाराम 7. केहराराम पुत्र पेमाराम 8. छगनी पत्नी पेमाराम 9. तेजाराम पुत्र पेमाराम 10. गम्पाराम पुत्र जवाराम 11. नरशियाराम पुत्र जवाराम 12. इन्दाराम पुत्र जवाराम 13. बाबुराम पुत्र जवाराम 14. भंवराराम पुत्र मोवताराम 15. हुकमाराम पुत्र मोवताराम 16. कंसाराम पुत्र खेताराम 17. घंवराराम पुत्र खेताराम 18. राणाराम पुत्र अणदाराम जातियान दजी 19. किरदाराम पुत्र पदमाराम 20. मालाराम पुत्र पदमाराम 21. उदाराम पुत्र वगताराम 22. पेमाराम पुत्र कलाराम 23. जमुाराम पुत्र खेराराम 24. लालाराम पुत्र खेराराम जातियान जाट 25. रामाराम पुत्र बालाराम जाति मेपवाल राणी निवासीगण सरणु तहसील व जिला बाड़मेर

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक - 05/04/2022

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर